वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016-चैत्र 19, शके 1938**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती श्रेया घोष प्रसाद, उम्र 29 साल पति श्री शशी कुमार प्रसाद, निवासी-रामपुर-जबलपुर क्वाटर नं. एम. ओ. 55, एम. पी. एस. ई. बी. कॉलोनी, जबलपुर कथन करती हूँ कि.—

1. यह कि मेरा विवाह के पूर्व कु. श्रेया घोष आत्मज श्री रामचन्द्र घोष मेरा नाम था जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज था. मेरा विवाह दिनांक 20-01-2013 को सम्पन्न हुआ तथा मैंने अपना नाम का सरनेम सुधरवाने दिया था. परन्तु मेरा गलत नाम श्रीमती श्रेया प्रसाद लिख गया है.

2. यह कि विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती श्रेया घोष प्रसाद पति श्री शशी कुमार प्रसाद हो चुका है.

अतः अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे व मेरे आगामी समस्त अभिलेखों, प्रमाणपत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(श्रेया प्रसाद)

नया नाम :

(श्रेया घोष प्रसाद)
पति श्री शशी कुमार प्रसाद,
निवासी-क्वाटर नं. एम.ओ. 55,
एम. पी. एस. ई. बी. कॉलोनी, रामपुर-जबलपुर.

(02-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी सविता शुक्ला पुत्री श्री आर. एस. शुक्ला, निवासी म. नं. 13/5, जे. ए. डी. कॉलोनी सागर, न्यायिक स्थापना, जिला सागर (म.प्र.) में सहायक ग्रेड-3 के रूप में पदस्थ हूँ. मैंने अपना नाम परिवर्तन कर कुमारी भक्ति स्वामी कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे कुमारी सविता शुक्ला के स्थान पर भक्ति स्वामी के रूप में ही जाना जाये.

पुराना नाम :

(सविता शुक्ला)

नया नाम :

(भक्ति स्वामी)

(15-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता हुआ नाम बबलू है तथा उक्त आधार पर कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम बबलू लिखा गया है मेरा वास्तविक नाम रामनारायण योगी है और यही नाम मैं अपने दस्तावेजों में लिखता आया हूँ व लिख रहा हूँ. भविष्य में मेरा नाम बबलू योगी के स्थान पर रामनारायण योगी ही शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य एवं कार्यालय में लिखा जावे एवं इसी नाम से मुझे जाना व पुकारा जावे.

अत: जिन दस्तावेजों में मेरा नाम बबलू योगी है उसे संशोधित कर रामनारायण योगी अंकित होगा.

सूचनाकर्ता,

रामनारायण योगी,

पुत्र शिवनाथ योगी,

निवासी-तारकेश्वरी कॉलोनी, शिवपुरी.

(03-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Zamir Alam Qureshi here by declare that I have change my name as Samir Philip so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(ZAMIR ALAM QURESHI)

New Name :

(SAMIR PHILIP)

Add— 50, Saraswati Colony, Tarana,
Dist. UJJAIN (M. P.).

(04-B.)

CHANGE OF NAME

I, RUPAL JAIN changed my name to NAJUK JAIN and now I would be known as NAJUK JAIN.

Old Name :

(RUPAL JAIN)

New Name :

(NAJUK JAIN)

D/o arun kumar jain,
Add—277-278, Greater Brijeshwari,
INDORE (M. P.).

(05-B.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम निरूपमा वामोरकर पिता श्री माधव पुरूषोत्तम वामोरकर के नाम से जानी व पहचानी जाती थी. यह कि विवाह पश्चात् मैं अब श्रीमती प्रीति शुजालपुरकर के नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ तथा दोनों नामों की मैं एक ही महिला हूँ.

पुराना नाम :

(निरूपमा वामोरकर)

नया नाम :

(प्रीति शुजालपुरकर)

33-बी, सेक्टर श्री सांई नाथ कॉलोनी, इन्दौर.

(06-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का स्कूल में नाम सौम्य लक्षकार है, उसका सही नाम हर्ष लक्षकार है. मैंने अपने पुत्र का नाम नोटरीकृत शपथ-पत्र के माध्यम से सौम्य लक्षकार से हर्ष लक्षकार परिवर्तित कर दिया है. अब मेरे पुत्र को हर्ष लक्षकार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

भवदीय,

निशा लक्षकार,

22, विवेकानन्द नगर, ठाटीपुर

ग्वालियर (म.प्र.).

(07-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शशि खरे पति अशोक खरे, निवासी-557, संजीवनी नगर, जबलपुर यह घोषणा करती हूँ कि, विवाह से पूर्व मेरा नाम लीलाअयोध्या वर्मा पिता अयोध्या प्रसाद वर्मा था जो कि मेरे समस्त प्रमाणपत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 07 फरवरी, 1987 को श्री अशोक खरे के साथ हो जाने के बाद मुझे श्रीमती शशि खरे के नाम से जाना और समझा जावे.

पुराना नाम :

(लीलाअयोध्या वर्मा)

नया नाम :

(शशि खरे)

(08-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. निशा पोनियाँ पुत्री श्री प्रताप सिंह पोनियाँ है जो कि शादी के बाद बदलकर मेरा नाम डॉ. निशा राणा पत्नि श्री मानेन्द्र सिंह राणा, निवासी रतन कॉलोनी गेट के सामने, जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर है.

अत: अब मुझे मेरे नये नाम डॉ. निशा राणा के नाम से ही जाना, पहचाना जावे, समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :

(कु. निशा पोनियाँ)

पुत्री स्व. श्री प्रताप सिंह पोनियाँ,

नया नाम :

(निशा राणा)

पत्नि श्री मानेन्द्र सिंह राणा,
निवासी—रतन कॉलोनी, गेट के सामने,
जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(14-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम मोना जैन पिता श्री हरीओम था. विवाह पश्चात् परिवर्तन होकर मोना गोयल पति श्री महावीर प्रसाद गोयल हो गया है.

अत: मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जावे एवं समस्त पत्र व्यवहार व कार्यवाही इसी नाम से की जावे.

पुराना नाम :

(मोना जैन)

D/o हरीओम.

नया नाम :

(मोना गोयल)

W/o श्री महावीर प्रसाद गोयल,
पता—वार्ड क्रमांक-03, मैन रोड, भितरवार,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(01-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी इन जिनका पता प्लॉट नंबर B-6, इन्द्रपुरी भेल, भोपाल मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 04/2004-05, दिनांक 18-05-2004 पंजीयन फर्म है, में से दिनांक 01-04-2007 को भागीदार कमलेश मोटवानी, पुत्र श्री शीतलदास मोटवानी, निवासी-12, ओअसिस बंगला मेनरोड चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 21-01-2016 को श्री हिमांशु यादव पुत्र बी. जी. यादव, निवासी-43, रामनगर अधारताल, जबलपुर मध्यप्रदेश फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 21-01-2016 को सुधांशु यादव पुत्र बी. जी. यादव, निवासी-43, रामनगर अधारताल, जबलपुर मध्यप्रदेश भी नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-बालाजी इन
अशोक कुमार यादव,
(भागीदार)
पता—प्लॉट नम्बर, B-6, इन्द्रपुरी,
भेल, भोपाल (म.प्र.).

(09-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेस सागर यह भागीदारी पत्रक दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 में निम्न भागीदार थे.—

1. श्री बाबूलाल साहू तनय स्व. श्री रामप्रसाद साहू.

2. श्री बद्रीप्रसाद साहू तनय श्री बाबूलाल साहू.
3. श्री महेश साहू तनय श्री बाबूलाल साहू.
4. श्री विष्णु साहू तनय श्री बाबूलाल साहू.
5. श्री रामानुज साहू तनय श्री बाबूलाल साहू.

सभी भागीदार विजय टॉकीज रोड, मोतीनगर वार्ड सागर के निवासी हैं.

यह पाँचों भागीदार पूर्व से व्यवसाय करते चले आ रहे थे इनमें से एक भागीदार श्री बाबूलाल साहू तनय स्व. श्री रामप्रसाद साहू का निधन दिनांक 18 जून, 2015 को हो गया था. जिसके बाद मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस सागर की नई भागीदारी पत्रक दिनांक 22 जून, 2015 में निम्न भागीदार हैं.

1. श्री महेश साहू तनय स्व. श्री बाबूलाल साहू.
2. श्री बद्रीप्रसाद साहू तनय स्व. श्री बाबूलाल साहू.
3. श्री विष्णु साहू तनय स्व. श्री बाबूलाल साहू.
4. श्री रामानुज साहू तनय स्व. श्री बाबूलाल साहू.

सभी भागीदार विजय टॉकीज रोड, मोतीनगर वार्ड सागर के निवासी हैं. आम जनता को सूचनार्थ.

सूचनाकर्ता—
वास्ते—मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस सागर,
बद्रीप्रसाद साहू,
तनय स्व. श्री बाबूलाल साहू,
(भागीदार).

(10-बी.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिर्डी साई बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00130/11, वर्ष 2011-2012 पंजी. दिनांक 21-06-2011) उक्त फर्म समस्त भागीदारों की सहमति से दिनांक 10-04-2015 को भंग कर दी गयी है.

Shirdi Sai Baba Construction Company,
PAWAN KUMAR BATHAM,
(Erstwhile Partner)
Bhopal, Madhya Pradesh.

(11-B.)

PUBLIC NOTICE

We applied for registration of firm in the registrar and instead of NATU FOUNDATION the application stated NATU FOUNDATIONS due to some typing errors. The certificate came with the name NATU FOUNDATIONS and now we'll like to correct it.

PADMAJA NATU,
(Partner).

(12-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. मोहन अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साझेदारों एवं पते में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:-

साझेदार-पूर्व में फर्म में 3 साझेदार क्रमशः

1. श्री मोहन अग्रवाल पुत्र स्व. श्री फूलचंद अग्रवाल, निवासी-दत्तपुरा, मुरैना (म.प्र.).
2. श्री रीतेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मोहन अग्रवाल, निवासी-मुरैना (म.प्र.).
3. श्रीमती कृष्णा अग्रवाल पत्नी स्व. श्री मोहन अग्रवाल, निवासी-मुरैना (म.प्र.).

थे. परन्तु दिनांक 03-11-2015 को श्री मोहन अग्रवाल जी के आकस्मिक निधन के कारण उनको साझेदारी फर्म से अलग किया जा रहा है.

अत: वर्तमान में फर्म में निम्न साझेदार हैं:-

1. श्री रीतेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मोहन अग्रवाल, निवासी-नयाबाजार, ग्वालियर (म.प्र.).

2. श्रीमती कृष्णा अग्रवाल पत्नी स्व. श्री मोहन अग्रवाल, निवासी-नयाबाजार, ग्वालियर (म.प्र.).

पते में परिवर्तन—

फर्म के संशोधन से पूर्व फर्म का पता दत्तपुरा, मुरैना था. जिसको परिवर्तित कर वर्तमान में पंजीकृत पता मैसर्स मोहन जी एण्ड कम्पनी 46, गणेश कॉलोनी, गणेश मंदिर के पास, नयाबाजार, ग्वालियर (म.प्र.) होगा.

उक्त फर्म के की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी का भी कोई ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर संपर्क करें एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावे. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

शैलेश कुमार गर्ग,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
ग्वालियर (म.प्र.).

(13-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सुरिन्दरसिंह होरा पिता श्री धरमसिंह होरा, पता-191, ट्रांसफोर्ट नगर मेन रोड, श्रीराम तौल कांटा के सामने, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा धरम फाउण्डेशन, कार्यालय पता-191, ट्रांसफोर्ट नगर मेन रोड, श्रीराम तौल कांटा के सामने, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	धरम फाउण्डेशन.
कार्यालय का पता	:	191, ट्रांसफोर्ट नगर मेन रोड, श्रीराम तौल कांटा के सामने, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 51,000/- (रु. इक्यावन हजार मात्र).

आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(252)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री महेन्द्र भाई शाह पिता श्री लालजी शाह पता-295, एम. खातीवाला टेंक, इन्दौर के द्वारा श्री नवकार परिवार धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता-302, नाकोड़ा टॉवर भवान महावीर मार्ग, पिपलीबाजार, इन्दौर, म.प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री नवकार परिवार धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	302, नाकोड़ा टॉवर भवान महावीर मार्ग, पिपलीबाजार, इन्दौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम-कोडियाबर्डी तहसील व जिला इन्दौर, राजस्व निरीक्षक वृत्त-1, पटवारी हल्का नम्बर 02, राउ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5/1/स/17/मिन-7, पैकि बंटाकन 5/1/स/17/3, रकबा 0.093 हेक्टर असिंचित भूमि है.
चल सम्पत्ति	:	रु. 14,25,576/- (रु. चौदह लाख, पच्चीस हजार, पाँच सौ छियोत्तर मात्र).

आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(252-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री प्रकाशचंद कांकरिया पिता श्री पूनमचंद कांकरिया, पता-136, जॉवरा कम्पाउण्ड, इन्दौर के द्वारा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, कार्यालय पता-24, बी, पलासिया ए. बी. रोड इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	136, जॉवरा कम्पाउण्ड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)

आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(252-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सुन्दरसिंह पिता राममनोहर सिंह पता-196, गोविंद नगर सांवेर रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा विनायका एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, कार्यालय पता-5, 101-बी/सुखमणी अपार्टमेंट, विष्णुपूरी मेन, यूनियन बैंक के ऊपर, इन्दौर म.प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	विनायका एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	5, 101-बी/सुखमणी अपार्टमेंट, विष्णुपूरी मेन, यूनियन बैंक के ऊपर, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(252-C)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

रा. प्र. क्र. 02/बी-113/2015-16. मण्डलेश्वर, दिनांक 09 मार्च, 2016

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर नर्मदांचल चेरिटेबल ट्रस्ट नर्मदा मार्ग, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश की ओर से ट्रस्ट के सचिव श्री विजय पिता स्व. नारायण बड़ोले, निवासी नर्मदा एप्रोच मार्ग मण्डलेश्वर द्वारा पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	न्यास का नाम	..	नर्मदांचल चेरिटेबल ट्रस्ट नर्मदा मार्ग, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.
2.	न्यास का पता	..	नर्मदा मार्ग, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.
3.	चल सम्पत्ति	..	12,221/- रुपये.
4.	अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 09 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

बी. एस. सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(253)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर, जिला आगर-मालवा

प्र. क्र. 01/बी-113/2014-15.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, सुसनेर,

जिला आगर-मालवा के समक्ष.

चूंकि संवाद हेतु न्यासी श्री पारसमल चौधरी पिता भेरूलाल चौधरी, निवासी नलखेड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री मनोज बडेरा पिता कैलाशचंद बडेरा, निवासी नलखेड़ा कार्यकारी सचिव ने श्री चंदाप्रभु जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट नलखेड़ा का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में 12 अप्रैल, 2016 को प्रातः 11.00 बजे विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सुसनेर, जिला आगर-मालवा का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री पारसमल चौधरी पिता भेरूलाल चौधरी, निवासी नलखेड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री मनोज बडेरा पिता कैलाशचंद बडेरा, निवासी नलखेड़ा कार्यकारी सचिव ने श्री चंदाप्रभु जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट नलखेड़ा.
कार्यालय का पता	..	श्री चंदाप्रभु जैन श्वेताम्बर मंदिर पेड़ी जवाहर मार्ग नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा.

जी. एस. डावर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(254)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बैतूल, जिला बैतूल

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-3 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक बैतूल, जिला बैतूल के समक्ष.

यह कि अण्णा भाउ साठे सामाजिक ट्रस्ट बैतूल, तहसील व जिला बैतूल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूचित में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन-पत्र पर दिनांक 17 मार्च, 2015 वे दिवस मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

1.	चल सम्पत्ति	. .	10,000/- रुपये.
2.	अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.

संजीव केशव पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

(255)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल

बैतूल, दिनांक 17 मार्च, 2016

आ. क्र./म.चि./2016/02.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार हेमर निशान शासकीय कार्य के दौरान गुम हो गये हैं. संबंधित बीट प्रभारियों द्वारा गुमशुदा हेमर का पता लगाने का प्रयास किया गया, परंतु हेमर तलाश करने पर भी नहीं मिल सका.

1. हेमर निशान 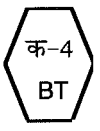

2. हेमर निशान 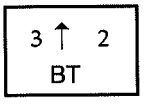

3. हेमर निशान 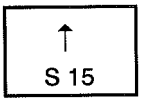

अत: वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये हेमर क्रमांक क-4 BT, 32 BT एवं S 15 उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल स्टाक से अपलेखित किया जाता है. इस विज्ञप्ति के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति गुमशुदा हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा. यदि उक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह पास के पुलिस थाने में अथवा नजदीकी वन कार्यालय में हेमर जमा करे. अथवा सूचना दें.

गुमशुदा हेमर का अनुमानित मूल्य 250/- रुपये संबंधित बीट प्रभारियों से वसूली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही हेमर जैसे महत्वपूर्ण सामान के रख-रखाव के संबंध में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चारित्रिक चेतावनी दी जाती है.

अतुल मिश्रा,
वनमण्डलाधिकारी.

(269)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर

संत रविदास सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-1053, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/42, शाजापुर, दिनांक 13 जनवरी, 2016 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिंदु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 13 फरवरी, 2916 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संत रविदास सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-1053, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को परिसमापन में लाती हूं तथा श्री आर. सी. बीजापारी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

(270-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/960.—शिक्षित बेरोजगार कल्याण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./440, दिनांक 25 मई, 1986 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/218, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 382 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् शिक्षित बेरोजगार कल्याण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/961.—अन्नपूर्णा शीत गृह एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./26, दिनांक 10 जून, 1997 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/217, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 381 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अन्नपूर्णा शीत गृह एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-A)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/962.—आदर्श सूअर पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./379, दिनांक 28 जुलाई, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/223, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 384 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् आदर्श सूअर पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-B)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/963.—जय माँ बीड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./405, दिनांक 05 अप्रैल, 2008 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/214, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 380 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् जय माँ बीड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-C)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/964.—महिला प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./281, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/193, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 369 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-D)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/965.—मशीन कढ़ाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आंतरी, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./462, दिनांक 06 मार्च, 1985 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/216, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 381 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् मशीन कढ़ाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आंतरी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-E)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/966.—हरिजन पिगरी पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./970, दिनांक 08 जून, 2005 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/221, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 383 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् हरिजन पिगरी पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-F)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/967.—महिला कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./784, दिनांक 13 फरवरी, 1995 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/230, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 388 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-G)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/968.—शक्ति पुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगा मालनपुर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./957, दिनांक 20 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/191, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 368 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् शक्ति पुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगा मालनपुर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगावं, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-H)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/969.—एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिरूली, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./961, दिनांक 01 जुलाई, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/199, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 372 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिरूली को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-I)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/970.—जय शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडेरा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./958, दिनांक 26 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/185, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 365 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् जय शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडेरा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-J)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/971.—अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मस्तूरा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./969, दिनांक 04 मार्च, 2005 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/227, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 386 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मस्तूरा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-K)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/972.—यमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वनबार, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./915, दिनांक 31 मार्च, 2002 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/228, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 387 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् यमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वनबार को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-L)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/973.—गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरौआ, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./914, दिनांक 13 मार्च, 2002 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/226, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 386 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरौआ को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-M)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/974.—खेरापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोहिंदा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./953, दिनांक 15 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/203, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 374 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् खेरापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोहिंदा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-N)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/975.—संतोषी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरई, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./932, दिनांक 12 मई, 2003 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/197, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 371 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् संतोषी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरई को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-O)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/976.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जंगीपुर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./954, दिनांक 15 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/204, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 375 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जंगीपुर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुरार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-P)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/977.—शहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चैत (घाटीगांव), पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./992, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/184, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 365 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् शहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चैत (घाटीगांव) को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-Q)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/978.—रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईंटमा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./874, दिनांक 12 मई, 1998 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/195, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 370 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईंटमा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-R)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/979.—मधुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जौरासी, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./256, दिनांक 04 जनवरी, 1997 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/194, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 370 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् मधुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जौरासी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-S)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/980.—नेमीनाथ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पनिहार (घाटीगांव), पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./936, दिनांक 03 मार्च, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/186, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 366 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला नेमीनाथ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पनिहार (घाटीगांव) को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-T)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/981.—रामेश्वरधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जरगांव, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./944, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/198, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 372 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् रामेश्वरधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जरगांव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुरार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-U)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/982.—कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटायल, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./925, दिनांक 26 फरवरी, 2003 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/196, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 371 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटायल को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-V)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/983.—माँ पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सांखनी, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./966, दिनांक 20 जुलाई, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/202, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 374 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् माँ पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सांखनी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-W)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/984.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरनागत, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./967, दिनांक 10 अगस्त, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/201, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 373 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरनागत को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(256-X)

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/985.—मंशादेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., थर (घाटीगांव), पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./957, दिनांक 26 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/191, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 368 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् मंशादेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., थर (घाटीगांव) को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(256-Y)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, सम्भाग ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/440.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनपुर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./634, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनपुर, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1190, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1531, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनपुर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./634, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/441.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./635, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1196, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1531, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./635, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257-A)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/442.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./638, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1192, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1530, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./638, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257-B)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/443.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राढखेडा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./632, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राढखेडा, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1176, दिनांक 04 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1529, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राढखेडा, जिला शिवपुरी पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./632, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257-C)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/444.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठाटी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./636, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठाटी, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1194, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1528, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठाटी, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./636, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257-D)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/445.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मकरारा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./637, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मकरारा, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1188, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1526, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मकरारा, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./637, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257-E)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/446.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विजरौनी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./631, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विजरौनी, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1165, दिनांक 24 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1527, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विजरौनी, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./631, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(257-F)

ग्वालियर, दिनांक 14 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/447.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से अवगत कराया गया, कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुंआ, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र./ जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./633, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य न करने के कारण संस्था को अध्यक्ष संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुंआ, जिला शिवपुरी के माध्यम से समस्त सदस्यों को कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1186, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस संबंध में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2015 नियत की गई. परन्तु संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2015/1532, ग्वालियर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के द्वारा अध्यक्ष संस्था को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचित किया गया कि वह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मानकर, कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी. परन्तु फिर भी संस्था की ओर से पक्ष समर्थन हेतु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय, कार्य करने में संस्था पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों, संस्था सदस्यों की कोई रुचि नहीं है तथा संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई हैं, को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग, ग्वालियर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुंआ, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र./जे. आर./ जी. डब्ल्यू.आर./633, दिनांक 04 जुलाई, 2015 निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

एच. एम. सिंघल,
संयुक्त पंजीयक.

(257-G)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./600, उमरिया, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा लोक शक्ति मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कौडिया, तहसील चंदिया, जिला उमरिया, जिसका पंजयीन क्रमांक/952, दिनांक 18 दिसम्बर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड करकेली, जिला उमरिया को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाडी समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258)

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./610, उमरिया, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 द्वारा बैगा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पहाडिया, जिला उमरिया, जिसका पंजयीन क्रमांक/80, दिनांक 14 मार्च, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड पाली, जिला उमरिया को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाडी समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(258-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/233.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1240, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के द्वारा नूरसभा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आर्यवार्ड बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1576, दिनांक 06 फरवरी, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था नूरसभा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आर्यवार्ड बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1576, दिनांक 06 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259)

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/234.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2013/773, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा पं.भवानीप्रसाद मिश्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1324, दिनांक 04 अगस्त, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था पं.भवानीप्रसाद मिश्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1324, दिनांक 04 अगस्त, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259-A)

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/235.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2013/773, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा जय कृषि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महदगाँव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1510, दिनांक 26 जुलाई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था जय कृषि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महदगाँव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1510, दिनांक 26 जुलाई, 2005 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259-B)

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी/निर.आ./2016/236.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/574, दिनांक 26 जुलाई, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सहनगाँव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 08 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक श्री के. एल. राठौर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सहनगाँव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 08 जून, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259-C)

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी/निर.आ./2016/237.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/572, दिनांक 26 जुलाई, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरपानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1631, दिनांक 08 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक श्री के. एल. राठौर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरपानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1631, दिनांक 08 मार्च, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259-D)

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./पुन./2016/238.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2007/1222, दिनांक 28 अगस्त, 2007 द्वारा सतपुड़ा वनोपज विकास उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरडी, पंजीयन क्रमांक 1445, दिनांक 23 मई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1049, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री सुधीर मोने, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुलताई को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2016 को आम सभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तद्नुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए सतपुड़ा वनोपज विकास उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरडी का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2007/1222, दिनांक 28 अगस्त, 2007 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये संस्था सतपुड़ा वनोपज विकास उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरडी का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी का गठन करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री खुशयालराव देशमुख	अध्यक्ष
2.	श्री गुणवंत/केशोराव	उपाध्यक्ष
3.	श्री भीमराव/दमड़े	संचालक
4.	श्रीमती उर्मिला/गुणवंत	संचालक
5.	श्री रामसिंग/मानिकराव	संचालक

1	2	3
6.	श्री गणपंत गंम्फू/सुरेसिंह	संचालक
7.	श्री जयपाल/शंकर	संचालक
8.	श्रीमती इन्दीरा/नागोराव	संचालक
9.	श्रीमती चंद्रवति/केशोराव	संचालक
10.	श्री धूड़ल्या/खोक्या	संचालक
11.	श्रीमती उर्मिला/भीमराव	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259-E)

बैतूल, दिनांक 04 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./पुन./2016/239.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/572, दिनांक 26 जुलाई, 2014 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,नयेगाँव, पंजीयन क्रमांक 1417, दिनांक 15 फरवरी, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/572, दिनांक 26 जुलाई, 2014 के द्वारा श्री के.एल. राठौर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, आठनेर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2016 को आम सभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तद्नुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,नयेगाँव का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/572, दिनांक 26 जुलाई, 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,नयेगाँव की निम्नानुसार प्रबंधकारिणी का गठन करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री रमेश/रामजी झाड़े	अध्यक्ष
2.	श्री रामजी/परसू झाड़े	उपाध्यक्ष
3.	श्री चैतराम झाड़े	संचालक
4.	श्री डोमू झाड़े	संचालक
5.	श्री करमचंद झाड़े	संचालक
6.	श्री सावन्या निरापुरे	संचालक
7.	श्री जुगन धुर्वे	संचालक
8.	श्रीमती लक्ष्मी बाई	संचालक
9.	श्रीमती चन्द्रकला बाई	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

(259-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/268.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/744, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गणेशनगर (ओंकारेश्वर), पंजी. क्रमांक 2265, दिनांक 14 अगस्त, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री हेमंत सोहनी, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गणेशनगर (ओंकारेश्वर), पंजी. क्रमांक 2265, दिनांक 14 अगस्त, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/269.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/747, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थापना, पंजी. क्रमांक 2269, दिनांक 14 अगस्त, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री हेमंत सोहनी, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थापना, पंजी. क्रमांक 2269, दिनांक 14 अगस्त, 2014 को यह

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-A)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/270.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/750, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धावड़ीयॉ, पंजी. क्रमांक 2285, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री हेमंत सोहनी, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धावड़ीयॉ, पंजी. क्रमांक 2285, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-B)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/271.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/423, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवलीकला, पंजी. क्रमांक 2096, दिनांक 17 मार्च, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री अनिल अत्रे, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवलीकला, पंजी. क्रमांक 2096, दिनांक 17 मार्च, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-C)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/272.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/424, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकवी, पंजी. क्रमांक 2093, दिनांक 17 मार्च, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री अनिल अत्रे, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकवी, पंजी. क्रमांक 2093, दिनांक 17 मार्च, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-D)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/273.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/422, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवलीखुर्द, पंजी. क्रमांक 2095, दिनांक 17 मार्च, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री अनिल अत्रे, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवलीखुर्द, पंजी. क्रमांक 2095, दिनांक 17 मार्च, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-E)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/274.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/585, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नांदियाखेडी, पंजी. क्रमांक 2246, दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री हेमंत सोहनी, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नांदियाखेडी, पंजी. क्रमांक 2246, दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-F)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/275.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/425, खण्डवा, दिनांक 26 मई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकवा, पंजी. क्रमांक 2094, दिनांक 17 मार्च, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री अनिल अत्रे, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकवा, पंजी. क्रमांक 2094, दिनांक 17 मार्च, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-G)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/276.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/426, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बखार, पंजी. क्रमांक 2092, दिनांक 17 मार्च, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री अनिल अत्रे, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बखार, पंजी. क्रमांक 2092, दिनांक 17 मार्च, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-H)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/277.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/782, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा विस्था. रेवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, सैलानी, पंजी. क्रमांक 2338, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. मुवेल, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए विस्था. रेवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, सैलानी, पंजी. क्रमांक 2338, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-I)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/278.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/783, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा जय ओंकार महिला

कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, थापना, पंजी. क्रमांक 2340, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. मुवेल, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय ओंकार महिला कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, थापना, पंजी. क्रमांक 2340, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-J)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/279.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/460/1322, खण्डवा, दिनांक 02 जून, 2015 के द्वारा मैत्री महिला मसाला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, दोंदवाडा, पंजी. क्रमांक 1591, दिनांक 08 अगस्त, 1995 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, व. स. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए मैत्री महिला मसाला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, दोंदवाडा, पंजी. क्रमांक 1591, दिनांक 08 अगस्त, 1995 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त

न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-K)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/280.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/806, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा तारकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छनेरा, पंजी. क्रमांक 2350, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एस. जायसवाल, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए तारकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छनेरा, पंजी. क्रमांक 2350, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260-L)

खण्डवा, दिनांक 02 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/281.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/834, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा महाराणा प्रताप महिला नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 834, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एल. सितलानी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए महाराणा प्रताप महिला नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 834, दिनांक 07 अगस्त, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया..

मदन गजभिये,
उप-रजिस्ट्रार.

(260-M)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

आदि. वस्तु क्रय-विक्रय सह. सं. मर्या., झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 928, दिनांक 08 अगस्त, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1256, दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं हैं.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 08 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(261)

सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज मर्या., पखलिया, तहसील थांदला, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1072, दिनांक 10 जून, 2011 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/213, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं हैं.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 08 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(261-A)

कल्पतरू बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाडिया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1060, दिनांक 04 सितम्बर, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/213-11, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं हैं.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(261-B)

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी मर्या., देगारा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1051, दिनांक 07 जुलाई, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/436, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं हैं.

अत: मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 15 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(261-C)

माँ नर्मदा मुद्रणालय एवं स्टेशनरी मर्या., झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1035, दिनांक 19 मार्च, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/451-1, दिनांक 25 अगस्त, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं हैं.

अत: मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 16 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोले,
उप-पंजीयक.

(261-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 दिसम्बर, 1959 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./बी. एल. एस./16, दिनांक 14 दिसम्बर, 1959 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 दिसम्बर, 1982 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./244, दिनांक 04 दिसम्बर, 1982 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-A)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 जनवरी, 1993 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी

संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./480, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-B)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./575, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-C)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक

05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./568, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-D)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./570, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-E)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./578, दिनांक 07 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-F)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीताखेड़ी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीताखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीताखेड़ी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./573, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीताखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीताखेड़ी, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत

करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-G)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./566, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-H)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./638, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-I)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेंडा, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 22 अगस्त, 2003 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेंडा, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेंडा, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./667, दिनांक 22 अगस्त, 2003 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेंडा, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेंडा, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-J)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी

शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सम्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सम्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./508, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सम्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि सम्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-K)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./555, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-L)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पाड़ोछा, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक

14 अक्टूबर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पाड़ोछा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पाड़ोछा, तहसील कुरवाई, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./565, दिनांक 14 अक्टूबर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पाड़ोछा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पाड़ोछा, तहसील कुरवाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-M)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., लमनया, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., लमनया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., लमनया, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./647, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., लमनया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., लमनया, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-N)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., नहरिया, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., नहरिया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., नहरिया, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./650, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., नहरिया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., नहरिया, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-O)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 जनवरी, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./673, दिनांक 07 जनवरी, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके

पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-P)

विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 मई, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./684, दिनांक 12 मई, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-Q)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोबरहेला, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 15 सितम्बर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोबरहेला, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा

प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोबरहेला, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./944, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोबरहेला, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि श्री गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोबरहेला, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-R)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 06 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./977, दिनांक 06 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-S)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा

किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./985, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-T)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायर, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायर, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./979, दिनांक 07 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायर, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-U)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील शमशाबाद के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी

संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील शमशाबाद को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./984, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील शमशाबाद को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील शमशाबाद विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-V)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 09 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./982, दिनांक 09 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-W)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 16 नवम्बर, 1990 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी, तहसील कुरवाई, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./351, दिनांक 16 नवम्बर, 1990 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी, तहसील कुरवाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(262-X)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर देहरा, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 जुलाई, 1984 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर देहरा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर देहरा, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./257, दिनांक 17 जुलाई, 1984 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर देहरा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर देहरा, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(262-Y)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/550.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/विधि/2015/778, दिनांक 24 जून, 2015 के द्वारा सहकारी बैंक से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुसनेर (पंजीयन क्रमांक 4937, दिनांक 19-12-1943) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49-7 (ख) के अंतर्गत संस्था द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप संचालक मण्डल का पद स्वत: रिक्त हो जाने से श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था.

प्रशासक द्वारा अपने आवेदन-पत्र दिनांक 09 मार्च, 2016 से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उक्त संस्था में मात्र 14 सदस्य शेष रह गये हैं जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-6 (1) अनुसार किसी भी सहकारी संस्था के संचालन हेतु कम से कम 20 विभिन्न परिवारों के सदस्य होना अनिवार्य है.

संस्था में उक्त शर्त की पूर्ति नहीं होने के कारण संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन होना संभव नहीं है तथा रजिस्ट्रीकरण की शर्त की पूर्ति नहीं होने से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी बैंक से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 4937, दिनांक 19-12-1943) को आज दिनांक 15-03-2016 से परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(263)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/551.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/विधि/2015/778, दिनांक 24 जून, 2015 के द्वारा सहकारी प्रशिक्षणालय सहकारी समिति मर्यादित, आगर (पंजीयन क्रमांक 275, दिनांक 07 जनवरी, 1956) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49-7 (ख) के अंतर्गत संस्था द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप संचालक मण्डल का पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था.

प्रशासक द्वारा अपने आवेदन-पत्र दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उक्त संस्था में नियमित 05 सदस्य शेष रह गये हैं जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-6 (1) अनुसार किसी भी सहकारी संस्था के संचालन हेतु कम से कम 20 विभिन्न परिवारों के सदस्य होना अनिवार्य है.

संस्था में उक्त शर्त की पूर्ति नहीं होने के कारण संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन होना संभव नहीं है तथा रजिस्ट्रीकरण की शर्त की पूर्ति नहीं होने से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी प्रशिक्षणालय सहकारी समिति मर्यादित, आगर (पंजीयन क्रमांक 275, दिनांक 07 जनवरी, 1956) को आज दिनांक 15-03-2016 से परिसमापन में लाता हूं तथा श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(263-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 26 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

द्वारा— बर्हिगामी अध्यक्ष,

जनसेवक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बगडी.

क्र./परि./2016/357.—जनसेवक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बगडी, तह. व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 23 जून, 1999 है, आपके भंडार को दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को पुनर्जीवित किया जाकर 03 माह के लिये अस्थायी कमेटी गठित की गई थी. पुनर्जीवित के समय 03 माह में निर्वाचन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था. पुनर्जीवित के पूर्व भी संस्था उद्देश्य अनुरूप कार्य नहीं करने, अधिनियम, नियम, उपविधियों का पालन नहीं करने से परिसमापन में लाया गया था. पुनः संस्था द्वारा अधिनियम, नियम, उपविधियों के प्रावधान में रुचि नहीं दिखाई जा रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में यह प्रावधान है कि "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो"

संस्था के विरुद्ध आरोप हैं कि.—

1. पुनर्जीवित के समय गठित कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. संस्था के द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत् दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. भण्डार के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
4. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
5. भण्डार की वित्तीय स्थिति ठीक न होकर भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
6. भण्डार अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को अधिनियम, नियम या उपविधि के पालन में न रुचि है और न ही पालन किया जा रहा है. अतः प्रशासक की अनुशंसा के आधार पर संस्था को मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 14 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(264)

धार, दिनांक 26 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

द्वारा— बर्हिगामी अध्यक्ष,

शासकीय कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., धार.

क्र./परि./2016/358.—शासकीय कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., धार, तह. व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 264, दिनांक 19 अगस्त, 1964 है, आपके भंडार को दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को पुनर्जीवित किया जाकर 03 माह के लिये अस्थायी कमेटी गठित की गई थी. पुनर्जीवित के समय 03 माह में निर्वाचन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था. पुनर्जीवित के पूर्व भी संस्था उद्देश्य अनुरूप कार्य नहीं करने, अधिनियम, नियम, उपविधियों का पालन नहीं करने से परिसमापन में लाया गया था. पुनः संस्था द्वारा अधिनियम, नियम, उपविधियों के प्रावधान में रुचि नहीं दिखाई जा रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में यह प्रावधान है कि "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो"

संस्था के विरुद्ध आरोप हैं कि.—

1. पुनर्जीवित के समय गठित कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. संस्था के द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत् दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. भण्डार के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
4. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
5. भण्डार की वित्तीय स्थिति ठीक न होकर भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
6. भण्डार अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को अधिनियम, नियम या उपविधि के पालन में न रुचि है और न ही पालन किया जा रहा है. अतः प्रशासक की अनुशंसा के आधार पर संस्था को मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 14 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(264-A)

धार, दिनांक 26 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

द्वारा— बर्हिगामी अध्यक्ष,

धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार.

क्र./परि./2016/359.—धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, तह. व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 581, दिनांक 21 मई, 1984 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में यह प्रावधान है कि "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो"

संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन निम्नानुसार नहीं किया जा रहा है :—

1. संस्था के द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत् दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) (ख) अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है.
2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल की बैठकें/आमसभा नियमानुसार सम्पन्न नहीं करायी जा रही है. न ही इस कार्यालय को समयावधि में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है.
3. संस्था आमसभा किये जाने के 14 दिन पूर्व बैठक का एजेन्डा जारी करना व पेपर विज्ञप्ति देने का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पोर्टल पर जानकारियां अपलोड नहीं की जा रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को अधिनियम, नियम या उपविधि के पालन में न रुचि है और न ही पालन किया जा रहा है. अतः प्रशासक की अनुशंसा के आधार पर संस्था को मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) में परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 14 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य दस्तावेज के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बतओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(264-B)

धार, दिनांक 26 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

द्वारा— बर्हिगामी अध्यक्ष,

रूपमती प्राथमिक सहकारी भंडार मर्या., माण्डव.

क्र./परि./2016/360.—रूपमती प्राथमिक सहकारी भंडार मर्या., माण्डव, तह. व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 19 अगस्त, 2008 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में यह प्रावधान है कि "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो"

संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन निम्नानुसार नहीं किया जा रहा है :—

1. संस्था के द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत् दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) (ख) अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है.

2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल की बैठकें/आमसभा नियमानुसार सम्पन्न नहीं करायी जा रही है. न ही इस कार्यालय को समयावधि में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है.

3. संस्था आमसभा किये जाने के 14 दिन पूर्व बैठक का एजेन्डा जारी करना व पेपर विज्ञप्ति देने का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा पोर्टल पर जानकारियां अपलोड नहीं की जा रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को अधिनियम, नियम या उपविधि के पालन में न रुचि है और न ही पालन किया जा रहा है. अतः प्रशासक की अनुशंसा के आधार पर संस्था को मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) में परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 14 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य दस्तावेज के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बतओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(264-C)

धार, दिनांक 26 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

द्वारा— बर्हिगामी अध्यक्ष,

मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., माण्डव.

क्र./परि./2016/361.—मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., माण्डव, तह. व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 323, दिनांक 20 मार्च, 1967 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में यह प्रावधान है कि "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो"

संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन निम्नानुसार नहीं किया जा रहा है :—

1. संस्था के द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत् दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) (ख) अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है.

2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल की बैठकें/आमसभा नियमानुसार सम्पन्न नहीं करायी जा रही है. न ही इस कार्यालय को समयावधि में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है.

3. संस्था आमसभा किये जाने के 14 दिन पूर्व बैठक का एजेन्डा जारी करना व पेपर विज्ञप्ति देने का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा पोर्टल पर जानकारियां अपलोड नहीं की जा रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को अधिनियम, नियम या उपविधि के पालन में न रुचि है और न ही पालन किया जा रहा है. अतः प्रशासक की अनुशंसा के आधार पर संस्था को मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) में परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 14 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य दस्तावेज के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बतओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(264-D)

धार, दिनांक 26 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

द्वारा— बर्हिगामी अध्यक्ष,

आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भीलकुण्डा.

क्र./परि./2016/362.—आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भीलकुण्डा, तह. व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 23 जून, 1999 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में यह प्रावधान है कि "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो"

संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन निम्नानुसार नहीं किया जा रहा है :—

1. संस्था के द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत् दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) (ख) अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है.

2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल की बैठकें/आमसभा नियमानुसार सम्पन्न नहीं करायी जा रही है. न ही इस कार्यालय को समयावधि में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है.

3. संस्था आमसभा किये जाने के 14 दिन पूर्व बैठक का एजेन्डा जारी करना व पेपर विज्ञप्ति देने का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा पोर्टल पर जानकारियां अपलोड नहीं की जा रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था को अधिनियम, नियम या उपविधि के पालन में न रुचि है और न ही पालन किया जा रहा है. अतः प्रशासक की अनुशंसा के आधार पर संस्था को मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) में परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ

कहना हो, तो दिनांक 14 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य दस्तावेज के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बतओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(264-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/665.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 839, दिनांक 04 जून, 2002 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक 704, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 839, दिनांक 04 जून, 2002 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(265)

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/666.—पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 631, दिनांक 27 मई, 1996 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 631, दिनांक 27 मई, 1996 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(265-A)

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/667.—जन-जन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 625, दिनांक 14 फरवरी, 1996 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2853, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन-जन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 625, दिनांक 14 फरवरी, 1996 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(265-B)

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/668.—गुरूदेव ईंट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 543, दिनांक 23 जून, 1963 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2884, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरूदेव ईंट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 543, दिनांक 23 जून, 1963 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(265-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/1226, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था डेहूरा गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,सेमरीकलां, पंजीयन क्रमांक 388, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए इडेहूरा गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,सेमरीकलां, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 388, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(266)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2010/1085, दिनांक 13 अगस्त, 2010 द्वारा संस्था शिवाजी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., आदर्श नगर,

सतना, पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 07 सितम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए शिवाजी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., आदर्श नगर, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 07 सितम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(266-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/1231, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भंडार (बांधवगढ़ कॉलोनी), सतना, पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भंडार (बांधवगढ़ कॉलोनी), सतना, पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. पी. पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

(266-B)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 10 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. निम्नानुसार दिनांक द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ कोठार	769/03-07-2012	1222/29-10-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरीखुर्द	776/18-07-2012	1223/29-10-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनाडी	716/23-01-2012	1224/29-10-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिरगौती	696/05-05-2011	1225/29-10-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सगौनी	679/31-01-2011	1226/29-10-2015
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोहानी	676/31-01-2011	1227/29-10-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोहानी	662/23-12-2010	1228/29-10-2015
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसमासीकला	622/21-10-2010	1229/29-10-2015
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहखां	619//21-10-2010	1230/29-10-2015
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरैना	617/21-10-2010	1231/29-10-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

घनश्याम पाण्डेय,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(267)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 10 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरहुत	739/20-03-2012	1199/29-10-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी कुर्मीहाई	695/05-05-2011	1199/29-10-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुढ़ा	630/21-10-2010	1199/29-10-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगुना	618/21-10-2010	1199/29-10-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिघरा	600/06-10-2010	1199/29-10-2015
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरहठी	573/29-01-2010	1199/29-10-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

लालजी शर्मा,
परिसमापक एवं उप निरीक्षक.

(268)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016-चैत्र 19, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सीधी, छतरपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील गोपदबनास, मझोली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील कुसमी (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील नौगांव (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सिंहावल (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला बड़वानी में फसल गेंहूँ, चना व सिंगरौली में राई-सरसों, गेहूँ व कटनी में चना, मटर, गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, आगर, शाजापुर, देवास, धार, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला मण्डला, बालाघाट में फसल धान व पन्ना, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, नीमच, देवास, बड़वानी, रायसेन, सिवनी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .	चालू है.	4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) . .		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .	चालू है.	4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .	चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	40.4				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अलसी, मसूर, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		प्याज.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		(2) . .		
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक, गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. धान, तुअर, कोदो कुट्की, राई, अलसी, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) को. कु., मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. धान, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	8.0		4. (1)धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	65.0		(2)उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	14.0				
4. कुसमी	28.0				
5. चुरहट	8.5				
6. रामपुरनैकिन	6.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई, सरसों, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना, जौ अधिक. अलसी, गेहूँ कम. मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
***जिला झाबुआ :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..			चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, मूँगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
***जिला विदिशा :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ चना, मसूर, मटर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, मक्का, कोदो, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, गन्ना,सोयाबीन, मूंगमोठ, तुअर अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मटर, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ. मसूर, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हर्रई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला सतना, झाबुआ, खण्डवा, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(251)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.